न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.)

मिसल नं0 734/दावा/2013
दायरा दि0 18/09/2013

उनवान

द्वारकालाल पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी खूँजा तह0 खानपुर

— वादी

बनाम्

1. गजानंद पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नियासी खूँजा तह0 खानपुर
2. परमानंद पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
3. भंवरलाल पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
4. रमेशबाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
5. रोशनबाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
6. महावीर पुत्र रामकिशन जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
7. दुर्गाशंकर पुत्र रामकिशन जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
8. संजूबाई पुत्री रामकिशन जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
9. रेखाबाई पुत्री रामकिशन जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
10. शकुंतलाबाई बेवा रामकिशन जाति मीणा निवासी निवासी खूँजा तह0 खानपुर
11. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 91, 88, 89, 53, 136, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री संजय गौतम अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 03/04/2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 188, 91, 88, 89, 53, 136, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खूँजा की जमाबंदी सं0 2069–72 की खतौनी सं0 7 की 14 किता रकबा 58.13 बीघा, खतौनी सं0 13 की 14 किता रकबा 52.06 बीघा आराजी प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 के खाते दर्ज है। इस आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार दर्ज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं वादी की मां जगन्नाथीबाई द्वारा प्रतिवादीगण के पिता बद्रीलाल द्वारा खानपुर उपपंजीयक खानपुर के समक्ष तसफियानामा पर हस्ताक्षर कर दिये और पंजीयन अधिकारी के यहां पंजीयन किया जाकर तसफिया नामानुसार बंटवारा कर खाते पृथक कर दिये गये। खतौनी सं0 13 की ख0नं0 90 की 9.11 बीघा, ख0नं0 103 की 2.05 बीघा, ख0नं0 205 की 1.07 बीघा आराजी वादी के खाते दर्ज है। लेकिन उक्त खसरा नम्बर पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इस प्रकार खतौनी सं0 7 की ख0नं0 91 की 10.15 बीघा, ख0नं0 102 की 2.04 बीघा, ख0नं0 204 की 2.11 बीघा, ख0नं0 220 की 0.04 बीघा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है, लेकिन कब्जे काश्त में वादी के चली आ रही है और प्रतिवादीगण के पिता बद्रीलाल द्वारा अपने बड़े होने का फायदा उठाकर रकबा भी वादी से ज्यादा लिखवाया गया है और वादी से ज्यादा जमीन प्रतिवादीगण काश्त कर रहे हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार रेकार्ड दुरूस्त करने को कहा लेकिन टालमटोल करते रहे और अंतिम बार दि0 3.9.13 को रेकार्ड एवं रकबा दुरूस्त करने से मना करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री फरमायी जावे कि वादी के खाते की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

आराजी खतौनी सं0 13 की ख0नं0 90 की 9.11 बीघा, ख0नं0 103 की 2.05 बीघा, ख0नं0 205 की 1.07 बीघा को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किया जावे और वादी के खाते से रकबा कम किया जावे एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 के खाते की आराजी खतौनी सं0 7 की ख0नं0 91 की 10.15 बीघा, ख0नं0 102 की 2.04 बीघा, ख0नं0 204 की 2.11 बीघा, ख0नं0 220 की 0.04 बीघा में से 1/2 हिस्से खाते से हटाकर वादी के खाते दर्ज कर रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं कुल रकबा कुल आराजी 1/ भाग कर खाते पृथक किये जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे दिलावाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 10 की ओर से श्री रमेशकुमार विजय एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया। वही प्रतिवादी नं0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी ने पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया। अधिवक्ता प्रतिवादी के निवेदन पर दि0 12.04.14, 6.09.17, 13.09.17 को कॉस्ट पर जवाबदावा पेश करने का अवसर दिया गया किन्तु इनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया, अपितू दिनांक 23.01.2018 को प्रतिवादी एवं इनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रति0 नं0 1, 2, 3 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी द्वारकालाल, गवाह मुकेश मीणा के बयान दर्ज कराये तथा जमाबंदी Exp1, Exp2 प्रदर्श करायी गयी। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम खूँजा की खतौनी सं0 7 की 14 किता रकबा 58.13 बीघा हमारे व खतौनी सं0 13 की 14 किता रकबा 52.06 बीघा प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। वादी, वादी की मां जगन्नाथीबाई व प्रतिवादीगण के पिता बद्रीलाल के बीच तसफियानामा के अनुसार बंटवारा होकर खाता पृथक हो गये, किन्तु वादी के खाते की ख0नं0 90 की 9.11 बीघा, ख0नं0 103 की 2.05 बीघा, ख0नं0 205 की 1.07 बीघा पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के खाते की ख0नं0 91 की 10.15 बीघा, ख0नं0 102 की 2.04 बीघा, ख0नं0 204 की 2.11 बीघा, ख0नं0 220 की 0.04 बीघा में से 1/2 हिस्सा वादी के कब्जे में चली आ रही है। प्रतिवादीगण के पिता बद्रीलाल ने बडे होने का फायदा उठाकर ज्यादा रकबा लिखवा लिया। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की है तथा गवाहान के बयान कराये हैं। वहीं प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय से अनुपस्थित रहे हैं। इससे हमारा दावा साबित है। अतः दावा डिक्री किया जाकर ग्राम खूँजा की खतौनी सं0 13 की ख0नं0 90 की 9.11 बीघा, ख0नं0 103 की 2.05 बीघा, ख0नं0 205 की 1.07 बीघा को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किया जावे और वादी के खाते से रकबा कम किया जावे। इसीप्रकार प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 के खाते की आराजी खतौनी सं0 7 की ख0नं0 91 की 10.15 बीघा, ख0नं0 102 की 2.04 बीघा, ख0नं0 204 की 2.11 बीघा, ख0नं0 220 की 0.04 बीघा में से 1/2 हिस्से खाते से हटाकर वादी के खाते दर्ज कर रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी ने अपने वाद पत्र में यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती आराजी थी। उक्त आराजी के सभी सह खातेदारों, जिसमें वादी स्वंय शामिल था के मध्य एक तसफियानामा हुआ जिसे उप पंजीयक खानपुर द्वारा पंजीकृत किया गया एवं इस तसफियानामा के आधार पर प्रश्नगत आराजी का सहखातेदारों में बंटवारा होकर खाता पृथक पृथक दर्ज हुआ। वादी द्वारा वाद–पत्र के साथ पेश उक्त तसफियानामा के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी के सहखातेदारों द्वारा स्वेच्छा से 40/–रू0 के स्टॉम्प पर आराजी के स्वेच्छा से बंटवारे बाबत् तसफियानामा निष्पादित किया गया है। उप पंजीयक खानपुर द्वारा पंजीकरण के समय यह टिप्पणी अंकित की है :– " दस्तावेज तसफियानामा शुरू से अंत तक पढकर सुनाया निष्पादकों को सुनाया गया तो सुन एवं समझकर स्वंय का लिखाना एवं सही होना स्वीकार किया तथा तस्फियानामा निष्पादन करना स्वीकार किया। " उक्त तस्फियानामा के आधार

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

पर निष्पादकों के मध्य प्रश्नगत आराजी का बंटवारा होकर पृथक खाते दर्ज हो गयी, जो वर्तमान में भी पृथक–पृथक दर्ज है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण के पिता बद्रीलाल द्वारा अपने बड़े होने का फायदा उठाकर ज्यादा रकबा जमीन अपने नाम करवा ली तथा वादी से ज्यादा जमीन पर प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी के वाद का आधार यह है कि 1981 में वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य निष्पादित एवं उप पंजीयक खानपुर द्वारा दिनांक 01.04. 1981 को पंजीकृत तस्फियानामा झूँठा है एवं प्रतिवादीगण के पिता बद्रीलाल द्वारा अपने बड़े होने का नाजायज फायदा उठाकर ज्यादा जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। इस संबंध में यह सुस्पष्ट अभिमत है कि सहःखातेदारों द्वारा जब एक बार स्वेच्छा से पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर आराजी का बंटवारा कर लिया जाता है तो कालांतर में उन्हें अपनी इस स्वेच्छिक स्वीकृति से मुकरने का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि स्वीकृति स्वैच्छिक नहीं थी या कपट पूर्वक निष्पादन करवाया गया था तो संबंधित पक्षकार को सर्वप्रथम ऐसे पंजीकृत निष्पादित दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करवाना होता है। राजस्व विचारण न्यायालय को ऐसे पंजीकृत दस्तावेजों को शून्य घोषित करने की अधिकारिता नहीं है। इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, साथ ही दावे की मुख्य विषय वस्तु राजस्व विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है।

अतः वाद, वादी साबित नहीं होने एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज/अस्वीकार किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 03 /04/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner